

**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा II) का कार्यालय, केरला, तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT II), KERALA,**  
**THIRUVANANTHAPURAM**

सं.ले.प II/प्रशा/नि.म.ले.प (विविध)/कोविड/33-1/21-22

No. Au. II/Admn./CAG(Misc)/Covid/33-1/21-22

दिनांक/Date:28.04.2021

**कार्यालय आदेश सं. / Office Order No.3**

विषय: कोविड - 19 का प्रसार रोकने के लिए निवारक उपाय - भा.ले.प.एवं ले.विभाग  
कार्यालयों में उपस्थिति विनियमित करने के संबंध में

**Sub:** Preventive Measures to contain the spread of COVID-19 – Regulation  
of attendance in IA&AD offices – reg.

दि. 27.04.2021 के कार्यालय आदेश सं. 2 के क्रम में निम्नलिखित संलग्न किया जाता है :  
कार्य की अत्यावश्यकताओं के आधार पर, जब भी जरूरी हो संबंधित समूह अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय  
दल सदस्यों को मुख्य कार्यालय में बुलाया जा सकता है।

In continuation of Office Order No.2 dated 27.04.2021, the following is  
appended:

Field party members may be called to report at headquarters by the respective  
Group Officers whenever necessary based on work exigencies.

(प्रधान महालेखाकार के दि. 28.04.2021 के आदेशानुसार /  
Vide orders dated 28.04.2021 of Principal Accountant General)

हस्ता

उप महालेखाकार (प्रशासन एवं ए एम जी -I)  
**Deputy Accountant General**  
**(Administration & AMG-I)**

सेवा में/ To

1. सभी समूह अधिकारीगण / All Group Officers
2. प्र.म.ले के सचिव / Secretary to PAG
3. सभी शाखा अधिकारीगण / All Branch Officers
4. सभी कार्य संबंधी स्कंध / All Functional Wings